

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(22)न्याय / 1993

जयपुर, दिनांक 18.6.19

:: आज्ञा ::

श्री राजेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी, कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2019 के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह को दिनांक 16.08.2019 के अपराह्न पश्चात् से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध आज तक –

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


आज्ञा से,

—

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. जिला कलक्टर, कार्यालय बीकानेर।
4. श्री राजेन्द्र सिंह-द्वितीय, उप विधि परामर्शी, कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


18.6.19

संयुक्त शासन सचिव